न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 05/2019

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

दानमल गांधी पुत्र सांगीदास गांधी, फर्म – मैसर्स नवदुर्गा किराणा स्टोर, गांव कलाउ, तहसील देचू, जिला जोधपुर। निवासी – हाल कलाउ, मूल – सदर बाजार, रातडिया, तहसील भनियाना, जिला जैसलमेर।

–:आदेश :– **दिनांक :– 14.11.2019**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 19.12.2018 को श्री रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी गश्त चैंकिग फर्म मैसर्स नवदुर्गा किराणा स्टोर, गांव कलाउ, तहसील देचू, जिला जोधपुर पर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय दुकान पर विक्रेता एंव मालिक की हैसियत से दानमल गांधी पुत्र सांगीदास गांधी निवासी – हाल कलाउ, मूल – सदर बाजार, रातडिया, तहसील भनियाना, जिला जैसलमेर उपस्थित मिले। आम जनता को किराणा सामान व मिर्च पाउडर (श्री जी) आदी आम जनता को विक्रय कर रहे थे। उक्त मिर्च पाउडर (श्री जी) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 240/– नगद देकर मिर्च पाउडर (श्री जी) के 500 ग्राम के 4 पैकेट को खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त मिर्च पाउडर (श्री जी) के 500 ग्राम के 4 पैकेट हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1949 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक एंव परिरक्षक की मात्रा एंव प्रकृति अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1949 हस्ताक्षर युक्त डॉ. सुनील कुमार सिंह बिश्ठ, अभिहित अधिकारी, जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–1949 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वंय के द्वारा दिनांक 20.12.2018 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–1949 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 19.12.2018 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 19.12.2018 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 59–60 दिनांक 25.01.2019 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल. एस. 997/एक्ट/2018/49 दिनांक 17.01.2019 मय खाद्य विश्लेषक जोधपुर का जांच में विलम्ब बाबत् पत्र संख्या 321 दिनांक 20.12.2018 मुझे प्राप्त हुई, के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (श्री जी) का नमूना निर्धारित कोटि का नहीं होने के कारण असुरक्षित खाद्य (Unsafe Food) एवं मिथ्याछाप होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है। खाद्य कारोबारकर्ता एवं फर्म के मालिक को मिर्च पाउडर (श्री जी) की खरीद बिल एवं उनकी फर्म के दस्तावेज पेश करने हेतु रजि0 पत्र संख्या 01 दिनांक 21.01.2019 एवं पुनः स्मरण पत्र संख्या 02 दिनांक 04.02.2019 को प्रेषित किया गया। जो मय रजि0 रसील सलंग्न है।

दानमल गांधी द्वारा दिनांक 25.02.2019 के द्वारा उनकी फर्म का खाद्य रजि0 संख्या 22219039000725 जीर दिनांक 25.02.2019 एवं स्वयं का पहचान पत्र प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (श्री जी) का आगामी खरीद बिल उनके पास नहीं है जो की उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (3) (d) का उल्लंघन है।

खाद्य कारोबारकर्ता दानमल गांधी के आवेदन एवं फॉर्म VIII अपील पर अभिहित अधिकारी जोधपुर द्वारा उक्त नमूने का द्वितीय भाग निदेशक फूड लेबोरेटरी पुणे को पुनः जांच हेतु प्रेषित किया गया। निदेशक रेफरल फूड लेबोरेटरी पुणे की जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट RFL/DO/230/19/476/2019 दिनांक 23.05.2019 के अनुसार मिर्च पाउडर (श्री जी) का Contravention Regulation nos. 2.2.2(8), 2.2.2(9), 2.2.1(7) of Food safety and Stanadards (Packaging & Labelling) Regulations, 2011 होना पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा की धारा 26 की उप धारा 2 (v), धारा 27 की उपधारा (3) (क) एवं धारा 31 (2) का उल्लंघन किया है जो धारा 58 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका,

रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1949 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण पेश करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने बाबत् लिखा गया, प्रति प्रस्तुत की गयी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी दानमल गांधी की ओर से अभिभाषक श्री भगवानसिंह भंवरिया ने वकालतनामा पेश किया।

अप्राथी अभिभाषक द्वारा लिखित में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा कोई मिर्च पाउडर (श्री जी) का विक्रय नहीं किया जा रहा था, मौके पर कोई प्रपत्र 5–ए नहीं बनाया गया। खाली पेपर पर हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मिर्च पाउडर खरीदशुदा नहीं होने से अग्रिम खरीद बिल उपलब्ध नहीं है। मिर्च पाउडर (श्री जी) का सेम्पल फूड लेबोरेटरी पुणे की जांच में सही पाया गया। अप्रार्थी द्वारा एफएसओ एक्ट के प्रावधान Contravention Regulation nos. 2.2.2(8), 2.2.2(9), 2.2.1(7) of Food safety and Stanadards (Packaging & Labelling) Regulations, 2011 का किसी प्रकार का उल्लघंन नहीं किया गया है इस कारण अप्रार्थी का कोई दायित्व नहीं बनता है।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि उक्त मिर्च पाउडर (श्री जी) निर्माता श्री जी मसाला ई–23, राजीव नगर, नारोल, अम्बुजा फैक्ट्री के सामने, अहमदाबाद द्वारा निर्मित कर अपने सेम्पल प्रचार हेतु निःशुल्क बांटे गये थे जो की विक्रय के लिये नहीं थे केवल उत्पाद के प्रचार के लिये थे इस कारण उक्त उत्पाद का कोई खरीद बिल उपलब्ध नहीं था। पैकेट पर निर्माण की या पैंकिग की दिनांक बेच नम्बर इत्यादि निर्मात कम्पनी द्वारा अंकित किये जाते है, इस कारण सम्पूर्ण दायित्व निर्माता कम्पनी श्री जी मसाला का बनता है, अप्रार्थी ने एफएस एक्ट के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी का किसी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होने से उक्त परिवाद खारिज फरमाया जाये।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी दानमल गांधी की फर्म – मैसर्स नवदुर्गा किराणा स्टोर, गांव कलाउ, तहसील देचू, जिला जोधपुर में खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (श्री जी) जिसका खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु सैम्पल लिया गया। उक्त सैम्पल की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेटरी पुणे की जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट RFL/DO/230/19/476/2019 दिनांक 23.05.2019 के अनुसार मिर्च पाउडर (श्री जी) का Contravention Regulation nos. 2.2.2(8), 2.2.2(9), 2.2.1(7) of Food safety and Stanadards (Packaging & Labelling) Regulations, 2011 होना पाया गया। अतः खाद्य पदार्थ के पैकेट पर निर्माण की या पैंकिग की दिनांक बेच नम्बर इत्यादि अंकित नहीं होने से खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप (Misbranded) है।

उक्त प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय या वितरण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) (v) का उल्लंघन किया है जो धारा 58 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

आदेश

पत्रावली, एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे का अवलोकन किया तथा निदेशक रेफरल फूड लेबोरेटरी पुणे की जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट RFL/DO/230/19/476/2019 दिनांक 23.05.2019 के अनुसार मिर्च पाउडर (श्री जी) का Contravention Regulation nos. 2.2.2(8), 2.2.2(9), 2.2.1(7) of Food safety and Stanadards (Packaging & Labelling) Regulations, 2011 होना पाया गया। मनन के पश्चात पाया कि अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा की धारा 26 की उप धारा 2 (v), धारा 27 की उपधारा (3) (क) एवं धारा 31 (2) का उल्लंघन किया है जो धारा 58 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। अप्रार्थी दानमल गांधी पर शास्ती रूपये 10000/– अक्षरे रूपये दस हजार की आरोपित की जाती है। अप्राथी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
क्रमांकः कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2019/ दिनांक :–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. दानमल गांधी पुत्र सांगीदास गांधी, फर्म – मैसर्स नवदुर्गा किराणा स्टोर, गांव कलाउ, तहसील देचू, जिला जोधपुर। निवासी – हाल कलाउ, मूल – सदर बाजार, रातडिया, तहसील भनियाना, जिला जैसलमेर।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.11.27 19:14:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: